# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

अपील संख्या 03/2019

1. किशनकंवर पत्नी स्व0 बेरीसालसिंह
2. गोरधनसिंह
3. महावीरसिंह पुत्रान बेरीसालसिंह जाति राजपूत निवासीगाण गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. बेरीसालसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. तहसीलदार कम लैण्ड होल्डर रेकार्ड ऑफिसर, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—रेस्पोडेन्टगण

**अपील विरूद्ध आदेश गाम पंचायत गोठडा**
**पारित विरातन फौती इंतकाल संख्या 1931 दिनांक 20.09.2019**

एडवोकेट अपीलान्ट्स :- श्री रमाकान्त गौड अपीलान्ट
एडवोकेट रेस्पोडेन्ट्स :- –

## आदेश

दिनांक 19.08.2019

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट नं. 1 के स्व0 पति अपीलान्ट्स सं0 2 व 3 के स्व0 पिता बेरीसालसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोठडा के नाम से खाता सं0 पुराने 453 नया 243 के ख.न. 460/0.12, 1388/555/0.11, 1389/555/1.05 किता 3 कुल रकबा 1.28 है0 ग्राम गोठडा की हद में अवस्थित है। जिस पर जीवन पर्यन्त इनका काश्त व कब्जा चला आ रहा था, इस काश्तकार की मृत्यु दिनांक 05.02.2019 को हो चुकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति सलग्न है। असल नामा0 फौति भरवाने हेतु रेस्पोडेन्ट नं. 1 के कार्यालय में जमा करवादी थी, अपीलान्ट नं. 1 लगायत 3 ने जिस पर नामा0 कार्यवाही की गई। अपीलान्ट्स ने ग्राम पंचायत गोठडा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के समक्ष खातेदार स्व0 बेरीसाल दतक पुत्र हरिसिंह की मृत्यु दिनांक 05.02.2019 को हो जाने पर अपना शपथ पत्र वारिसान पत्र व प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र असल दिनांक 25.02.2019 को पेश किये ताकि विरासतन इंतकाल उनके नाम स्व0 खतोदार के स्थान पर हो सके। यह पूर्णतया एक वितीय राजस्व प्रकिया है जिस पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने ग्राम सभा का आयोजन कर बैठक में प्रस्ताव लेकर नामान्तकरण फौति संख्या 1931 दिनांक 05.03.2019 को दिनांक 08.03.2019 को स्वीकृत कर दिया और रेस्पोडेन्ट नं. 3 के कार्यालय में आगामी कार्यवाही रिकार्ड दर्ज हेतु समस्त दस्तावेजों सहित भेज दिया। रिकार्ड दर्ज करते समय सहवन से समान नाम के खातेदार खाता सं0 242 पुराना 220 ख.न. 213/1.19, 220/0.40 कुल रकबा 1.59 है0 के खाते में खातेदार बेरीसालसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा जिसकी यह कृषि भूमि राजस्व ग्राम की सरहद में स्थित है जो जीवित है के खाते में राजस्व प्रविष्ठि फौती इंतकाल संख्या 2066 से 2069 के रिकार्ड में से संवत 2075–78 में अंकित हो चुकी जो समान नाम होने से सहवन से हुई है कोई आपराधिक आशय नही है। अपीलान्ट्स रिकार्ड की नकल दिनिांक 17.05.2019 को लेने तहसील आये तब उन्हे इस तथ्य का पता चला कि उनके स्व0 पति अपीलान्ट संख्या 1 व

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

पीलान्ट सं0 2 व 3 के स्व पिता के नाम कृषि भूमि में फौती इंतकाल के प्रविश्टि नही हुई है वह पोडेन्ट सं0 2 के खते में हुई है। जो जीवित है समस्त रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि एवं फौटो प्रतियां पील के साथ पेश है जो अपील का एक रिकार्डिय भाग समझा जावे। यह भूल मानवीय स्वभाव के कारण लेरिक्ल त्रुटि है जो अपील दुरूस्त होने योग्य है। इस नामा0 के गलत दर्ज होने से अपीलान्टस के नूनी हक व काश्तकारी अधिकार प्रभावित हुये हैं एवे उनकी पैत्रिक सम्पति से उन्हे वंचित होना पड रहा तथा वे प्रिज्युडिस हुये है इस कारण अपने कानूनी हक व काश्तकारी अधिकारों की रक्षार्थ निम्न आधारो जानकारी दिनांक 17.05.2019 को पता चलने की दिनांक से सावधि अपील पेश है।

आदेश नामान्तकरण संख्या 1931 दिनांक 20.03.2019 विरूद्ध पत्रावली व कानून होने से प्रमि थया ही खारीज होने योग्य है। फौति नामा0 पूर करने से पूर्व मुनारी नही करवाई गई ना ही ढोल बजाया ता और किसी तरह का अनापति सूचना पत्र सार्वजनिक सूचना के रूप में रेस्पोडेन्टस नं. 1 लगायत 3 रा जारी नही किया जो एक आवश्यक कानूनी प्रकिया है इसके बाद ही नामा0 स्वीकार किया जाता है नूनी खामी होने से नामा0 खारिज होने योग्य है।

जिस खातेदार के नाम जो रेस्पोडेन्ट न. 2 के खाते में फौति नामा0 दर्ज किया गया है वह वश दर्ज हुआ है, मृतक खातेदार व रेस्पोडेन्ट सं0 2 जीवित है वारिसान ने आवेदन नही दिया इसलिये सके खाता सं0 220 पुराना व वर्तमान नया खाता सं0 268 के ख.न. 213/1.19, 220/0.40 है0 के श्तकारी अधिकारों तक प्रावधान विरूद्ध पवूर होने से शून्य व निष्प्रभावी है इस कारण भी यह इंतकाल रीज होने योग्य है इसी कारण प्रकृति के न्याय सिद्धान्त का पालन करते हुये अपील में इस काश्तकार को पक्षकार बनाया गया ह जिसे सुना जाना आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट्सपेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट्स से हुई मानवीय भूल से रेस्पोडेन्ट नं. 2 को खाते में दर्ज की गई फौति इंतकाल सं0 1931 दिनांक 20.03.2019 विरूद्ध कानून होने से व अपीलान्ट्स के खातेदारी अधिकारों हकूक, कब्जा काश्त से वचित करने वाली प्रकृति की प्रविष्टि होने से इस प्रविष्टि को खारीज फरमाकर इंतकाल सं0 1931 दिनांक 20.03.2019 को खारीज फरमाने की कृपा करें एव पुनः अपीलान्ट्स के पक्ष में फौति इंतकाल अपीलान्ट्स को सुनकर पूर किये जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 को फरमाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 उपस्थित होकर एक सहमति का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर स्वीकार कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाने में कोई एतराज नही होना वर्णित किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 3 द्वारा आदेशिका में अंकित किया गया कि पक्षकारान सहमत है तो भूमि धारक को कोई आपति नही है। अतः बहस वकील अपीलान्ट्स सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अनुसार बेरिसालसिंह पुत्र हरिसिंह की मृत्यु दिनांक 05.02.2019 को होना अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम गोठडा संवत 2066 से 2069 के अनुसार भूमि ख.न. 460/0.12, 1388/555/0.11, 1388/555/1.05 किता 3 कुल रकबा 1.28 है0 की खातेदारी बेरीशालसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 1044 दिनकि 22.11.10 के द्वारा ख.न. 1388/555/0.11 है0 में से बेरीशालसिंह पि0 हरिसिंह जाति राजपूत के स्थान पर कल्पना शेखावत पित्नी दारासिंह जाति राजपूत सा.दे खातेदार के नाम स्वीकार शेष बदस्तूर जमाबंदी। नामा0 सं0 1774 के अनुसार ख.न. 1389/555/1.05 है0 बेरीसालसिंह पुत्र हरिसिंह के स्थान पर कमलादेवी पत्नी केदारमल जाति गुजर बेरीसालसिंह पुत्र हरिसिंह हि0 0.83 है0 जाति राजपूत के नाम स्वीकार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम गोठडा संवत 2066 से 2069क` अनुसार खाता सं0 242 के ख.न. 213/1.19, 220/0.40 किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 की खातेदारी बेरीशालसिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट किया गया है कि नामा0सं0 1185 राहिन एसबीबीजे शाखा बसावा मूर्तहीन स्वीकार। नामा0 सं0 1897 के द्वारा खाता रहन मुक्त स्वीकार अंकित किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत नामा0 सं0 1931 दिनांक 20.03.2019 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार बेरीशालसिंह पुत्र दुर्गसिह के खाते की भूमि 213/1.19, 220/0.40 किता 2 कुल रकबा 1.59 है0 की खातेदारी अपीलान्टस किशनकंवर पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

रीसालसिंह, गोरधनसिंह व महावीरसिंह पुत्रान बेरीसालसिह के नाम से दर्ज होकर नामा0 तस्दीक हुआ है। स प्रकार रेस्पोडेन्ट नं. 2 की खातेदारी भूमि अपीलान्ट्स के नाम से दर्ज हो गई जो गलत है। अतः पीलान्ट न्यायोचित होने से ग्राम गोठडा का नामान्तकरण सं0 1931 को खारिज करने की स्वीकार की ाती है।

<u>आदेश</u>

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। ग्राम गोठडा का नामा0 सं0 1931 निर्णित दिनांक 20.03.2019 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि नामा0 सं0 1931 दिनांक 20.03.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रस्तुत आवेदित वारिसान की जांच की जाकर अपीलान्ट्स का नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुसद्दी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर
नवलगढ़